(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 11/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 01 जुलाई, 2021

विषयः दिनांक 31.07.2021 तक आईईसी के संशोधन की अवधि में विस्तार और जुलाई, 2021 के दौरान आईईसी के अद्यतनीकरण हेतु शुल्कों में छूट के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पैरा 2.05 (घ) के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.05 (घ)	आईईसी धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके आईईसी विवरण को प्रत्येक वर्ष अप्रैल–जून की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रुप से अद्यतित किया जाए। यदि आईईसी विवरण में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसकी ऑनलाइन पुष्टि करने की भी आवश्यकता है।	आईईसी धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके आईईसी विवरण को प्रत्येक वर्ष अप्रैल–जून की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रुप से अद्यतित किया जाए। **तथापि, केवल वर्तमान वर्ष हेतु इस अवधि को एक और महीना अर्थात् 31 जुलाई, 2021 तक बढाया जाता है।** यदि आईईसी विवरण में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसकी ऑनलाइन पुष्टि करने की भी आवश्यकता है।

2. इसके अलावा, जुलाई, 2021 माह के दौरान किए गए आईईसी संशोधन हेतु प्रभारित किए जाने वाला शुल्क 'शून्य' रहेगा।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः आईईसी संशोधन की अवधि 31.07.2021 तक केवल वर्ष 2021–22 हेतु बढायी गयी है, और दिनांक 31 जुलाई, 2021 तक की अवधि के दौरान आईईसी में किए जाने वाले संशोधनों पर कोई भी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

अमित यादव
01/07/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/93/180/05/एएम–12/पीसी–2[ख]/पार्ट–III/ई–1765 से जारी)